2/शा0/365/10

संख्या–3176/33–1–2010

7

प्रेषक,

डी0एस0 श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2– निदेशक,
पंचायतीराज,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉकः 25 अक्टूबर, 2010

3/शा0/1295/10

विषयः– राजस्व ग्रामों में नियुक्त पंचायतीराज विभाग के सफाई कमियों के जाब चार्ट में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1672/33–1–2009, दिनांक 09 जून, 2009 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निर्गत जॉब चार्ट के बिन्दु–10(4) में विद्यालयों के परिसर के बाहर की सफाई की व्यवस्था दी गयी है।

2– सम्प्रति शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया है कि ग्राम पंचायतों में स्थित उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के परिसर की सफाई न होने से विभिन्न प्रकार की बीमारियों की संभावना बनी रहती है तथा शैक्षिक वातावरण का निर्माण भी नहीं हो पाता है।

3– अतः उक्त शासनादेश संख्या–1672/33–1–2009, दिनांक 09 जून, 2009 द्वारा निर्गत जॉब चार्ट के बिन्दु–10(4) में संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व ग्रामों में नियुक्त सफाई कर्मियों द्वारा विद्यालयों के परिसर के बाहर की सफाई के साथ–साथ इन सफाई कर्मियों द्वारा उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भीतरी परिसर की भी सफाई की जायेगी।

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1672/33–1–2009, दिनांक 09 जून, 2009 द्वारा निर्गत जॉब चार्ट में उल्लिखित अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा

प्रत्येक सप्ताह विद्यालय परिसर की सफाई तथा अन्य निर्देशों के अनुपालन की प्रगति के सम्बन्ध में सूचना, निदेशक, पंचायतीराज को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

(डी0एस0 श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या–3176(1)/33–1–2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री (श्री दुर्गा शंकर मिश्र) उ0प्र0 शासन।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0, शिक्षा भवन निशातगंज, लखनऊ।
4– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5– समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी0एस0 श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

प्रेषक,

निदेशक, पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः–2 / शा0 / 28 / 09–2 / 12 / 09, लखनऊ दिनांक 16 जून, 2009

विषयः–राजस्व ग्रामों में नियुक्त सफाई कर्मी के जाब चार्ट क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश के राजस्व ग्रामों में नियुक्त सफाई कर्मियों का शासन द्वारा अनुमोदित जाब चार्ट संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि तद्नुसार इसका क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उक्तवत्

भवदीय,

(सी0 एम0 पाण्डेय)
उपनिदेशक(प्रशा0),
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

सं0–2 / शा0 / 28 / 1 / 09, तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उत्तर प्रदेश।

(सी0 एम0 पाण्डेय)
उपनिदेशक(प्रशा0),
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

16-6-09 ADOP

प्र/ग्रा/98/09

ब-4

संख्या–1672/33–1–2009

प्रेषक,

मुरली मनोहर लाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉकः 9 जून, 2009

विषयः– राजस्व ग्राम में नियुक्त सफाई कर्मी के जाब चार्ट के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–2/शा0/124/09–2/12/09, दिनांक 21–5–2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश के राजस्व ग्रामों में नियुक्त सफाई कर्मियों का जाब चार्ट भेजते हुए अनुमोदित करने का अनुरोध किया गया है, ताकि तद्नुसार क्रियान्वयन हेतु जनपदों को प्रेषित किया जा सके।

2– इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कतिपय संशोधनोपरान्त अनुमोदित उक्त जाब चार्ट भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेशक हुआ है कि कृपया इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(मुरली मनोहर लाल)
विशेष सचिव।

112

शासनादेश संख्या – 1672/33-1-2009 दिनांक 09 जून, 2009 का संलग्नक

पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश

सफाई कर्मियों का जाब–चार्ट

1. सफाई कर्मी का कार्य क्षेत्रः

सफाई कर्मी का कार्य क्षेत्र उसकी तैनाती का सम्पूर्ण राजस्व ग्राम होगा।

2. सफाईकर्मी का ड्यूटी समयः

सफाईकर्मी का ड्यूटी समय निम्न प्रकार होगाः–

ग्रीष्म काल में–	प्रातः	7.00 से 11.00 बजे तक
	अपरान्ह	3.00 से 6.00 बजे तक होगा।
शीतकाल में–	प्रातः	8.00 से 12.00 बजे तक
	अपरान्ह	2.00 से 5.00 बजे तक होगा।

3. नियुक्ति प्राधिकारीः

- सफाईकर्मी के नियुक्ति प्राधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी हैं। जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा राजस्व ग्राम में इनकी तैनाती के आदेश निर्गत किये जायेंगे तथा इनके स्थानान्तरण आदि का आदेश भी नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से ही जारी किया जायेगा।
- जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा सफाई कर्मियों के वेतन का आहरण एवं वितरण अनिवार्य रूप से सम्बन्धित प्रधान के द्वारा उपस्थिति प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जायेगा। संबंधित ग्राम प्रधान उपस्थिति पंजिका के आधार पर सही उपस्थिति प्रमाणित करने के लिये उत्तरदायी होगें। प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर ग्राम प्रधान के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- सफाई कर्मियों की उपस्थिति पंजिका ग्राम पंचायत के प्रधान के पास रखी जायेगी, जिसपर सम्बन्धित सफाई कर्मी द्वारा नियमित रूप से हस्ताक्षर किये जायेंगे। सहायक विकास अधिकारी (पं0) एवं जिला पंचायतराज अधिकारी भ्रमण के दौरान उपस्थिति पंजिका का अवलोकन कर उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा कुछ ग्रामीणों से भी सफाई कर्मी की उपस्थिति की जानकारी प्राप्त करेगें।

4. पर्यवेक्षीय अधिकारीः

सहायक विकास अधिकारी(पं0) इनके पर्यवेक्षीय अधिकारी होंगे और किसी सफाईकर्मी के अवकाश पर जाने की स्थिति में सहायक विकास अधिकारी(पं0) द्वारा अन्य राजस्व ग्राम में तैनात सफाई कर्मी से सफाई कार्य कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

5. नियन्त्रक प्राधिकारीः

ग्राम प्रधान सफाईकर्मी के नियन्त्रक प्राधिकारी होंगे तथा सफाई कर्मी ग्राम प्रधान के नियंत्रण एवं निर्देशन में सफाई कार्य करेंगे।

6. प्रत्येक जिले में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम का कियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु जिला स्वच्छता समिति गठित है, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी है। अतः जिलाधिकारी का दायित्व होगा कि वह सम्पूर्ण जनपद में सफाई कर्मियों के ऊपर जिला प्रशासन के द्वारा नियंत्रण रखें और विकास खण्ड एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों से इस बात का निरीक्षण करवाते रहें कि सफाई का काम सुचारु रुप से चल रहा है। जिला स्वच्छता समिति द्वारा, सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यकम की गाइडलाइन्स को दृष्टिगत रखते हुए, आवश्यकतानुसार उपलब्ध धनराशि का उपयोग भी स्वच्छता के कार्यो के लिए किया जा सकता है।

7. सफाई कर्मियों की अवकाश पंजिका ग्राम प्रधान के पास रखी जायेगी। तीन दिन तक का आकस्मिक अवकाश ग्राम प्रधान के स्तर से तथा इससे अधिक का अवकाश सहायक विकास अधिकारी (पं0) के स्तर से स्वीकृत किया जायेगा। अर्जित/चिकित्सीय अवकाश नियुक्ति प्राधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी के स्तर से स्वीकृत किया जायेगा। उपरोक्त अवकाशों से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्रों का अग्रसारण सहायक विकास अधिकारी(पं0) के लिए ग्राम प्रधान द्वारा एवं जिला पंचायतराज अधिकारी के लिए सहायक विकास अधिकारी(पं0) द्वारा किया जायेगा।

8. प्रत्येक सफाईकर्मी के लिए निम्न प्रकार से सफाई उपकरण एवं सामग्री ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी:–

क्रमांक	सामग्री	अवधि	मात्रा	अनुमानित मूल्य(रू0 में)
1	ठेलिया ट्राली लोहे की	5 वर्ष के लिए	1	3000.00
2	फावड़ा	1 वर्ष के लिए	2	300.00
3	डलिया	1 वर्ष के लिए	6	300.00
4	खुर्पा	1 वर्ष के लिए	4	200.00
5	तौलिया	1 वर्ष के लिए	4	200.00
6	झाड़ू	1 माह के लिए	2	60.00
7	साबुन	1 माह के लिए	1	15.00
8	ब्लीचिंग पाउडर	1 माह के लिए	5 कि.ग्रा.	100.00
9	फिनायल	1 माह के लिए	2 ली.	100.00

उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता प्रतीत होती है तो ग्राम पंचायत द्वारा आवश्यकतानुसार क्रय की जा सकेगी। उपरोक्त उपकरणों एवं सामग्री की व्यवस्था यथा सम्भव ग्राम पंचायत की आय के श्रोत से अथवा ग्राम पंचायतों को केन्द्रीय/ राज्य वित्त आयोग की संक्रमित धनराशि से सुनिश्चित की जायेगी।

9. वह समस्त सामग्री जो सफाईकर्मी को उपलब्ध करायी जायेगी, उसे अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सम्बन्धित सफाईकर्मी की होगी।

10. सफाईकर्मी द्वारा राजस्व ग्राम में खण्ड़जा, सड़क, नाली, नाले व पंचायत भवन के साथ–साथ निम्नलिखित सार्वजनिक स्थलों आदि पर भी सफाई का कार्य किया जाएगा :–

(1) ग्रामीण हाटपैठ, मेला स्थल व पशु बाज़ार
(2) ए0एन0एम0 सेन्टर
(3) सामुदायिक एवं स्कूल शौचालय
(4) विद्यालयों के परिसर के बाहर की सफाई
(5) खेलकूद का मैदान एवं व्यायामशालाएँ
(6) हैण्डपम्प/नलकूप स्थल के आसपास की सफाई
(7) खलिहान स्थल
(8) अन्य सार्वजनिक स्थल

11. राजस्व ग्राम में कूड़ा डालने के स्थान का चिन्हांकन संबंधित ग्राम प्रधान द्वारा किया जायेगा तथा सफाईकर्मी द्वारा कूड़ा, कूड़ा गाड़ी (ठेलिया) द्वारा कूड़ा डालने के स्थल तक ले जाया जायेगा एवं कूड़े का निस्तारण करेगा।